राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्दिर श्री काली माता देवी | महन्त प्रेमगिरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09/9/21	464/2019 1	

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 के विरूद्व इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 1536 लगायत 1541, खसरा नंबर 1546 एवं 1547 कुल किता 8 कुल रकबा 10.66 हैक्टेयर तन ग्राम पठानों का बॉस स्थित है जिसकी खातेदारी वादी के गुरू श्री श्री 108 गोपालगिरी महन्त विजयानन्द चेला औकारेश्वर जी गिरी के नाम है। वाद के पैरा सं. 2 में अंकित किया कि ग्राम अमरसर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर पहाडो में काली माता मन्दिर के पूर्वकाल में गोपालगिरी जी महाराज, महन्त विजयानन्द चेला औकारेश्वर जी गिरी रहे थे जिन्होंने लगभग 16–17 वर्ष पूर्व वादी को मन्दिर श्री जगदीश जी से लाकर स्वयं का चेला उत्तराधिकारी बना लिया था तथा तत्पश्चात् से वादी उन्हीं के साथ मन्दिर में रहकर सेवा पूजा करता रहा है। उक्त पैरा में यह भी अंकित किया गया कि महन्त गोपालगिरी जी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 12.02.2002 को पचास–पचास रूपये के दो मुद्रांक पर स्वयं का व वादी का फोटो लगाकर वसीयतनामा साक्षीगण मोहन सिंह व फूलचन्द के समक्ष निष्पादित करते हुए नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया एवं प्रश्नगत आराजी की देखभाल वगैराह हेतु एक मुख्त्यारनामा भी 100/– रूपये के मुद्रांक एवं सादा पेपर पर गवाहान राजेन्द्र शर्मा व मूल सिंह के सम्मुख दिनांक 21.02.2002 को निष्पादित करवा कर नोटेरी से प्रमाणित करवाया था। वाद के पैरा सं. 3 में अंकित किया गया कि दिनांक 14.01.2013 को गोपालगिरी जी महाराज ग्राम अमरसर जाने की बात कहकर मन्दिर से निकले थे किन्तु वापिस नहीं आये, उनको बहुत तलाश किया गया किन्तु नहीं मिलने पर महन्त गोपालगिरी महाराज की मृत्यु घोषित करवाने हेतु एक वाद नंबर 1/2012 उनवानी महन्त प्रेमगिरी बनाम राज्य सरकार बाबत उद्घोषणा विधिक रूप से मृत्यु घोषित किये जाने सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) शाहपुरा में पेश किया था जिस पर माननीय सिविल न्यायालय ने श्री गोपालगिरी महन्त चेला औंकारेश्वर दास गिरी को दिनांक 14.05.2012 को मृत घोषित कर दिया। वाद के पैरा संख्या चार में वादी द्वारा अंकित किया गया कि वाद में वर्णित भूमि पर अपने गुरू श्री गोपालगिरी महन्त विजयानन्द के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है व दिनांक 14.12.2003 के पश्चात् से लगभग 10–11 साल से अकेला वादी उक्त भूमि को लगातार काश्त करता आ रहा है व उक्त भूमि मन्दिर मूर्ति श्री काली देवी महाशक्ति पीठ के पास में ही है जिसका उपयोग–उपभोग मन्दिर के धार्मिक आयोजन गौ सेवा, यज्ञ आदि में व समय–समय पर काश्त कार्य इत्यादि में वादी लगातार करता आ रहा है। वाद के पैरा संख्या 5 में अंकित किया कि वादी को दिनाक 02.04.2009 को विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सन्तों, महन्तों के सम्मुख परम्परा अनुसार महन्तशिप की चादर ओढाकर महाकाली शक्तिपीठ अमरसर का महन्त भी नियुक्त कर दिया गया। वाद के पैरा सं. 6 में प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में महन्त गोपालगिरी द्वारा कब्जा संभलाने एवं अन्य कोई शिष्य नहीं होने का कथन अंकित किया गया है एवं यह भी अंकित किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्दिर श्री कालिकादेवी / महन्त उमागिरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
464/2019	2

था कि उनकी मृत्यु के पश्चात् वादी चाहे तो वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी स्वयं के नाम करवाले जो मृतक गोपालगिरी की अन्तिम इच्छा के रूप में प्रकट होती है जिससे वादी भूमि वादग्रस्त की खातेदारी स्वयं के नाम करवाने का विधि अनुसार अधिकारी है। वाद पत्र के पैरा सं. 7 में अंकित किया गया कि कुछ भूमाफियां प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 को आगे कर वादग्रस्त भूमि को जोर–जबरन हडपना चाहते है। वादी द्वारा विरासत का नामान्तकरण खोले जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 6 आनाकानी करते है एवं नामान्तकरण नहीं खोल रहे है। इन सब तथ्यों के साथ वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर स्वयं के हित में खातेदारी अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किये जाने का अनुतोष चाहा। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.11.2015 के द्वारा विस्तृत निर्णय पारित करते हुए निर्णय में अंकित किया कि वादी द्वारा वाद वसीयत एवं मुख्त्यारनामें के आधार पर घोषणात्मक खातेदारी बाबत निष्पादनकर्ता की मृत्यु के बाद प्रस्तुत किया गया है, विवादित भूमि महन्त गोपालगिरी के पारा कहा से आई इसका कोई उल्लेख नहीं किया है एवं ना ही कोई साबिका रिकॉर्ड पेश किया है। महन्त गोपालगिरी की मृत्यु के बाद उक्त मुख्त्यारनामें का कोई औचित्य नहीं रहा है, विवादित भूमि साबिक रिकॉर्ड में मन्दिर मूर्ति के नाम भी हो सकती है यह बिन्दु सन्देह में है, वादी के विवादित भूमि के नामान्तकरण संबंधी भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान है जिसके लिए वादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर करे, इस न्यायालय को अन्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दखल देना न्यायोचित नहीं है, अतः दावा वादी उपरोक्त विवेचन के अनुसार खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्व वादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 14.03.2016 को अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वह प्रश्नगत आराजी से संबंधित साबिका रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजात् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय पुनः प्रकरण का निस्तारण करें। तत्पश्चात् उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा की आदेशिका दिनांक 21.07.2016 अनुसार प्रकरण उनके समक्ष प्रस्तुत होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने व पक्षकारान् को नोटिस जारी होकर प्रकरण दिनांक 19.08.2016 को पेश होने के आदेश दिये गये, साथ ही अंकित किया गया कि चूंकि प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा में निहित है, अतः आगामी सुनवाई व कार्यवाही हेतु पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) को स्थानान्तरित की जाती है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा के समक्ष पत्रावली दिनांक 05.08.2016 की आदेशिका अनुसार प्रस्तुत हुई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया, वादी की ओर से श्री मातादीन शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये, प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये तत्पश्चात् आगामी पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। दिनांक 22.09.2016 की आदेशिका अनुसार प्रतिवादी संख्या 6 की तलबी हेतु नोटिस जारी होने एवं दस्तावेज पेश होने हेतु आगामी तारीख पेशी दी गई तत्पश्चात् निरन्तर तारीख पेशियां साक्ष्य सबूतों हेतु दी जाती रही।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मन्दिर श्री कालिका देवी / महन्त प्रेमागिरी

464/2019

3.

दिनांक 04.01.2018 को प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाब वाद प्रस्तुत किया गया, जिसको रिकॉर्ड पर लिया गया। दिनांक 29.04.2019 को आदेश अनुसार प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत दावे पर वकील वादी द्वारा आपत्ति किये जाने से वास्ते बहस आपत्ति जवाब दावा तारीख पेशी नियत की गई एवं दिनांक 20.05.2019 की आदेशिका अनुसार वकील वादी को सुना जाकर वादी का वाद दिनांक 20.05.2019 को डिक्री कर दिया गया। जिसके विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी मन्दिर श्री कालिका देवी शास्वत नाबालिक अमरसर तहसील शाहपुरा जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड अमरसिंह पुत्र स्व. मांगू सिंह जाति राजपूत निवासी गाढवास तहसील शाहपुरा द्वारा दिनांक 16.09.2019 को प्रस्तुत की गई। चूंकि अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार वाद नहीं था, अतः अपील के साथ प्रार्थना पत्र बाबत् ईजाजत अपील एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, जिनके द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं धारा 5 कानून मियाद का प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् अभिभाषक पक्षकारान् की धारा 96 जाप्ता दीवानी एवं धारा 5 कानून मियाद के साथ मूल अपील की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र ईजाजत अपील की बहस में निवेदन किया कि वादी/अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का प्रश्नगत आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है बल्कि वास्तविक खातेदारी भूमि हक व अधिकारों को नजरअंदाज करते हुए पूर्णतः गलत एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेन्ट ने प्रतिवादीगण से मिलीभगत कर अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए निर्णय जैर अपील प्राप्त किया है क्योंकि अपीलान्ट ने माफी मन्दिर को बिना पक्षकार बनाये वाद डिक्री करवा लिया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.03.2016 में अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश जारी किये थे कि भूमि माफी मन्दिर की है या नहीं के संदर्भ में भी साक्ष्य सबूत के आधार पर निस्तारण करें जिससे मन्दिर का पक्ष रखने हेतु मन्दिर को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जो नहीं कर वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को गुमराह करते हुए निर्णय जैर अपील प्राप्त कर लिया गया। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद की ओर न्यायालय हाजा का ध्यान आकर्षित कराते हुए बहस में निवेदन किया कि वाद के समस्त मदों में वादी द्वारा यह अंकित किया गया कि वाद अधीन भूमि से प्राप्त आय से मन्दिर की भोग पूजा एवं गौशाला आदि का काम किया जाता है जिससे स्पष्ट था कि प्रश्नगत आराजी में मंदिर के हित निहित थे एवं मंदिर का पक्ष सुना जाना आवश्यक था चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मंदिर के हितों को ध्यान नहीं रखते हुए निर्णय पारित किया गया है जिससे मन्दिर के समस्त अधिकार समाप्त होने की स्थिति बन गई है, अतः प्रार्थी/अपीलार्थी मन्दिर के हित को संरक्षित रखने हेतु जरिये नेक्स्ट फ्रेण्ड अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है जो प्रदान किया जाना आवश्यक है।

धारा 5 कानून मियाद के प्रार्थना के सन्दर्भ में अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्दिर श्री कालिका देवी / महन्त प्रेमागिरी

तारीख हुक्म	464/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4

पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.11.2015 के अवलोकन से एवं वर्तमान में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.05.2019 एवं वाद पत्र के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी सम्पूर्ण प्रक्रिया में कही भी पक्षकार समायोजित नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को निर्णय जैर अपील की जानकारी समयावधि में नहीं हो सकी। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा का ध्यान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पूर्व निर्णय दिनांक 30.11.2015 की ओर आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय स्वयं द्वारा अपने निर्णय के क्रियान्वयन पैरे में यह अंकित किया था कि " विवादित भूमि साबिका रिकॉर्ड में मन्दिर मूर्ति के नाम भी हो सकती है यह सन्देह के घेर में है" तो अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि मन्दिर के पक्ष की सुनवाई की जाती किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर मन्दिर के हकों के विरूद्व निर्णय जैर अपील पारित किया है जिसकी जानकारी प्रार्थी/अपीलार्थी को अन्यथा किसी भी प्रकार होना सम्भव नहीं था, अतः अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत होना शुमार की जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में मुख्य रूप से यही आपत्ति उठाई कि अपील प्रस्तुतकर्ता अमर सिंह मन्दिर का नेक्स्ट फ्रेण्ड नहीं है एवं प्रश्नगत आराजी आज दिनांक तक माफी मन्दिर कालिका के खातेदारी में नहीं रही है न ही अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड इस सन्दर्भ का प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित होता हो कि प्रश्नगत आराजी मन्दिर के खाते की आराजी हो, अतः प्रार्थी/अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार कानूनी रूप से नहीं है। जहां तक धारा 5 काननू मियाद के प्रार्थना पत्र का प्रश्न है, के सन्दर्भ में अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद वर्ष 2014 से लम्बित था जिसका एक बार पूर्व में भी निर्णय हो चुका है, जिसकी अपील भी राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां हो चुकी है एवं जिसके निर्णय के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आने पर पुनः वाद निर्णित हुआ है अतः यदि प्रार्थी/अपीलार्थी अपने आप को मन्दिर का नेक्स्ट फ्रेण्ड कहता है तो प्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त सम्पूर्ण चली प्रक्रियाओं का ज्ञान है जिसकी अनभिज्ञता दर्शाते हुए अब परिसीमन का लाभ नहीं ले सकता। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई है, अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-96 जाप्ता दीवानी एवं धारा 5 कानून मियाद खारिज फरमाये जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

विचाराधीन प्रकरण में प्रकरण मूर्ति मन्दिर से सम्बन्धित होने से यह उचित समझा जाता है कि धारा 96 जाप्ता दीवानी व धारा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्रों पर कोई आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण के गुणावगुण का भी अवलोकन किया जावे। अतः अभिभाषक पक्षकारान् को अपील के गुणावगुण पर भी सुना गया।

अभिभाषक अपीलार्थी ने मूल वाद की पत्रावली के साथ प्रस्तुत वसीयत पत्र एवं मुख्त्यारनामा पत्र जिनकी की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है जिन्हे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श किया गया कि ओर न्यायालय हाजा का ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रस्तुत वसीयत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्दिर श्री कालिका देवी | महन्त प्रेमगिरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
464/2019	5.	

पत्र वादी के हक में महन्त श्री गोपालगिरी, महन्त मन्दिर काली देवी के द्वारा उनके नाम लगी आराजीयात के सन्दर्भ में है, इसी सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा का ध्यान अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड की ओर आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि महन्त गोपालगिरी, महन्त औकारेश्वर गिरी के शिष्य थे उनके खाते में जो प्रश्नगत आराजीयात लगी वे पूर्व महन्त के खाते में चली आ रही आराजीयात लगी थी किन्तु पूर्व महन्त द्वारा कभी भी महन्त गोपालगिरी के हक में कोई वसीयत या मुख्त्यारनामां नहीं दिया गया था, जिससे स्पष्ट है कि गोपालगिरी के नाम प्रश्नगत आराजीयात मन्दिर श्री काली देवी के महन्त नियुक्त होने की वजह से लगी किन्तु जैसा कि वाद में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि गोपालगिरी द्वारा वादी को अपना शिष्य नियुक्त नहीं किया गया था। अभिभाषक अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा का ध्यान अपील के साथ प्रस्तुत सौ रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित महन्ताई अधिकारी पत्र जिसकी की मात्र फोटोप्रति प्रस्तुत हुई है जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श–8 अंकित किया है कि ओर करा कर निवेदन किया कि यह स्पष्ट है कि मात्र इस अधिकार पत्र के द्वारा ही वादी ने अपने आपको महन्त गोपालदास का चेला दर्शाने की कोशिश की है एवं चूंकि महन्त गोपालदासगिरी ने विधिवत मन्दिर श्री कालीका देवी का अपने जीवनकाल में शिष्य घोषित नहीं किया था जिससे प्रश्नगत आराजीयात वादी के खाते में लगने का प्रश्न ही नहीं उठता था। प्रश्नगत आराजीयात को अपने खाते में लगवाने हेतु वादी द्वारा वसीयत पत्र व अन्य पत्र तैयार करवाये गये। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र फोटोप्रतियों के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया है जो पूर्णतः नियम विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिकाओं में कही भी यह अंकित नहीं किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वसीयत पत्र, मूल महन्ताई अधिकारी पत्र एवं मुख्त्यारनामा पेश किया गया हो और उससे मिलान कर फोटोप्रतियों को ग्रहण कर उनको प्रदर्श किया गया हो। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि विधि अनुसार किसी भी दस्तावेज की मात्र फोटोप्रति शहादत के रूप में ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होती है। अपनी बहस के समर्थन में अभिभाषक अपीलार्थी ने ए.आई.आर. 2009 (एन.ओ.सी.) पृष्ठ संख्या 197(ए11) उद्रित की। अभिभाषक अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा का ध्यान दस्तावेज सूची के साथ प्रस्तुत हस्ताक्षर विशेषज्ञ रिपोर्ट की ओर आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि वादी द्वारा वाद के साथ जो वसीयत पत्र एवं मुख्त्यारनामा की फोटोप्रति पेश की है वे फर्जी दस्तावेज है क्योकि उन पर महन्त गोपालगिरी द्वारा तथाकथित किये हस्ताक्षर उनके द्वारा पूर्व में अन्य दस्तावेज वादी द्वारा गलत तरीके से बनाये गये दस्तावेज है जिनके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तौर पर वादी का वाद डिक्री किया गया है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी मन्दिर श्री कालीका देवी की खाते की आराजीयात है मात्र राजस्व कर्मचारियों की गलती से राजस्व रिकॉर्ड में साधारणतया मूर्ति मन्दिर के सन्दर्भ में जो प्रविष्ठियां की जाती है वो इस प्रकार होती है कि मन्दिर श्री कालीका देवी जरिये महन्त एवं महन्त का नाम किन्तु सन्दर्भित आराजीयात के सन्दर्भ में राजस्व कर्मचारियों द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्दिर श्री कालिकादेवी / महन्त प्रेमागिरी

तारीख हुक्म	464/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	6.	

मन्दिर का नाम नहीं लिखते हुए सीधे ही महन्त का नाम अंकित कर दिया गया। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि महन्त गोपालदास के नाम सन्दर्भित आराजीयात मन्दिर श्री कालीका देवी के महन्त नियुक्त होने की वजह से लगी एवं चूंकि महन्त श्री गोपालगिरी द्वारा अपने जीवनकाल में वादी को अपना शिष्य नियुक्त कर मन्दिर का महन्त नियुक्त नहीं किया था इसलिए उनके नाम प्रश्नगत आराजीयात नहीं लगी। उक्त आराजीयात को वादी द्वारा सन्दर्भित फर्जी वसीयतनामा बनवा कर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है जिसके सन्दर्भ में वादी के विरूद्व पृथक से फौजदारी प्रकरण लम्बित है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा जो अपने वाद को सिद्ध करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करवाये है उनका कोई परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं करवाया गया है जिससे उनकी सत्यता संदिग्ध है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया प्रतिवादीगण से आपसी मिलीभगत कर प्रस्तुत किया है इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा का ध्यान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद की ओर आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि जिन प्रतिवादीगणों के विरूद्व वादी द्वारा अनुतोष चाहा है वे अपने जवाब वाद के माध्यम से वादी के पूर्ण वाद के प्रति अपनी स्वीकारोक्ति अंकित करते है। अभिभाषक अपीलार्थी ने वाद के पैरा संख्या 7 की ओर न्यायालय हाजा का ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि वादी द्वारा अपने वाद के पैरा संख्या 7 में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 कुछ भूमाफियाओं को आगे कर वादी के भूमि मुतनाजा के नियन्त्रण व उपयोग–उपभोग से मजाहमत करने लग गये है व भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने कि धमकियां दे रहे है जबकि जवाब वाद के पैरा संख्या 7 में वादी के वाद के पैरा संख्या 7 में वर्णित तथ्यों को नकारा है एवं अंकित किया है कि वादी के वादग्रस्त भूमियों के कृषि कार्य व उपयोग–उपभोग में कोई मजाहमत नहीं की है। अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सन्दर्भ में निवेदन किया कि जब प्रतिवादीगण द्वारा इस सन्दर्भ में किसी प्रकार की कोई मजाहमत ही नहीं की है तब वादी को वादकारण ही उत्पन्न नहीं हुआ था इससे भी वादी द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण वाद मेन्युपुलेटेड एवं आपसी मिलीभगत से मन्दिर के खाते की आराजीयात को हडपने की गरज से प्रस्तुत किया जाना सिद्ध था जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने समझने में गलती कर वादी का वाद डिक्री किया है, जो निरस्तनीय है। अभिभाषक अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सं. 6 लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा थे जिनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब वाद भी प्रस्तुत किया गया था एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 29.04.2019 में उक्त जवाब वाद को रिकार्ड पर लेते हुए इसकी बहस हेतु पत्रावली आगामी तारीख पेशी हेतु नियुक्त की थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर गौर किये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित कर दिये, जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विरूद्व जाकर निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। अभिभाषक अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा का ध्यान वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के पैरा संख्या 3 की ओर

राजस्व अपील प्राधिकारी ★ जयपुर (राजस्थान) ★

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्दिर श्री कालिका देवी महन्त प्रेमगिरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
464/2019	7.	

आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पूर्णतया गलत तथ्यों पर आधारित है क्योंकि पैरा संख्या 3 के अनुसार महन्त गोपालगिरी के दिनांक 14.01.2013 को ग्राम अमरसर जाने की बात कहकर मन्दिर से निकलने का तथ्य अंकित किया है जबकि उनको मृत घोषित करवाने का वाद सिविल न्यायाधीश शाहपुरा के समक्ष वर्ष 2012 में ही वादी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था जिसका निर्णय भी सिविल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 14.05.2012 को किया गया। उक्त निर्णय में माननीय सिविल न्यायाधीश ने वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यों को अंकित किया है जिसके पैरा संख्या 1 में अंकित किया है कि " वादी महन्त प्रेमगिरी की ओर से यह वाद पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाकर यह अनुतोष चाहा गया है कि श्री गोपालगिरी महन्त विजयानन्द चेला औकारेश्वर दास जी गिरी निवासी मन्दिर श्री कालीका देवी ग्राम अमरसर व पठानों का बॉस तहसील शाहपुरा का स्वर्गवास दिनांक 14.01.2010 को या अदालत जो तारीख मुनासिब समझे को हो चुका है।" जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में दिनांक 14.01.2013 को महन्त गोपालगिरी का ग्राम अमरसर जाने की बात कहकर मन्दिर से निकलना अंकित किया है जिससे वादी का सम्पूर्ण वाद गलत तथ्यों पर आधारित सिद्ध होने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त बिन्दुओं का विश्लेषण किये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के अन्त में न्यायालय हाजा का ध्यान वाद पत्र के पैरा संख्या 4 की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि " उक्त भूमि मन्दिर मूर्ति श्री काली देवी महाकाली शक्तिपीठ के पास में ही है जिसका उपयोग–उपभोग मन्दिर के धार्मिक आयोजनों एवं गौ सेवा, यज्ञ आदि में व समय–समय पर काश्तकार्य इत्यादि वादी लगातार करता आ रहा है " वादी के उक्त कथन से स्वतः ही यह सिद्ध है कि प्रश्नगत आराजी श्री कालिका देवी महाकाली शक्तिपीठ की आराजी थी जिसका उपयोग मन्दिर के धार्मिक आयोजनों एवं गौसेवा, यज्ञ आदि में होता रहा है एवं इसी हेतु मन्दिर के हक में प्रश्नगत आराजी दी गई थी जिससे भी वादी का वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने से मात्र मन्दिर के खाते की आराजीयात को हडपने की गरज से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसका सही आंकलन करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि इस न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई है वह अमर सिंह पुत्र स्वर्गीय मांगू सिंह शेखावत द्वारा मन्दिर का नेक्स्ट फ्रेण्ड बनकर प्रस्तुत की गई है जबकि अमर सिंह किसी प्रकार भी मन्दिर का हितधारी पक्षकार नहीं है क्योकि न तो वह नियमित रूप से उक्त मन्दिर के दर्शनाथ जाता है बल्कि कभी–कभी दर्शन के लिये जाते होगे मात्र कभी–कभी दर्शन के लिए जाने से कोई भी व्यक्ति किसी स्थान का हितधारी पक्षकार नहीं बन सकता। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में यह तर्क लिया कि अपीलार्थी यदि हितधारी पक्षकार भी होता तो अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्दिर श्री कालिकादेवी / महन्त प्रेमगिरी

तारीख हुक्म	464/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

8.

न्यायालय में लम्बित समस्त कार्यवाही अपीलार्थी की जानकारी में थी वह अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष ही आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पक्षकार बन सकता था किन्तु उसके द्वारा पूर्व में ऐसा कभी नहीं किया गया, मात्र कुछ लोगो के बहकावे में आकर मन्दिर का हितधारी अपने आपको दर्शाते हुए यह अपील निराधार कारणों से प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने प्रकरण के गुणावगुण के सन्दर्भ में न्यायालय हाजा का ध्यान वाद के साथ प्रस्तुत विभिन्न राजस्व रिकॉर्डो की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में महन्त गोपालगिरी के खाते की आराजीयात रही है, मन्दिर के खाते की आराजीयात नहीं रही है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस में निवेदन किया कि महन्त गोपालदास गिरी द्वारा अपने जीवनकाल में ही उसे अपने पास रख कर अपना चेला बना लिया था एवं अपने जीवनकाल में ही दिनांक 12.02.2002 को प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में वसीयत व मुख्त्यारनामा कर दिया था। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा का ध्यान वाद के साथ प्रस्तुत निर्णय सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) शाहपुरा दिनांक 14.05.2012 की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय के द्वारा महन्त गोपालगिरी को मृतक घोषित किया जा चुका है जिससे महन्त गोपालगिरी द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट के हक में की गई वसीयत के आधार पर स्वतः ही उनके खाते की आराजीयात के सन्दर्भ में वादी/रेस्पोडेन्ट को हक प्राप्त हो गये थे जिसके राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हेतु वादी द्वारा तहसीलदार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में महन्त गोपालगिरी के स्थान पर वादी का नाम प्रश्नगत आराजी के सन्दर्भ में दर्ज नहीं किये जाने से इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद प्रस्तुत करना पडा। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस में यह भी निवेदन किया कि चूंकि वादी/रेस्पोडेन्ट को महन्त गोपालगिरी द्वारा कोई समारोह कर अपना चेला नियुक्त नहीं किया था जिससे अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा का ध्यान अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध एनेक्चर–8 महन्ताई अधिकार पत्र जो कि दिनांक 02.04.2009 का है, की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि वादी को सार्वजनिक रूप से समाज के लोगों की उपस्थिति में उक्त महन्ताई अधिकार पत्र के माध्यम से मन्दिर श्री महाकाली शक्तिपीठ का महन्त नियुक्त किया जा चुका है जो कि महन्त गोपालगिरी द्वारा वादी के हक में जारी वसीयत से पृथक प्रक्रिया थी, वादी पूर्व में ही सन्दर्भित वसीयत के आधार पर महन्त गोपालगिरी के इन्तकाल के पश्चात् सन्दर्भित आराजीयात के सन्दर्भ में हक अधिकारी हो गया था मात्र राजस्व रिकॉर्ड में उसके इन्द्राज हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है जिससे कि अन्य कोई व्यक्ति वादी के हक अधिकारों में दखल उत्पन्न न कर सके जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के वाद को डिक्री किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है बल्कि अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने के कोई हक अधिकार नहीं है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी समस्त बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2016 पेज 378, आर.बी.जे. 2002 पेज 163, आर.बी.जे. 2009 पेज 786, आर.आर.डी. पेज 276 उद्रित करते हुए निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी (मुहर)

4/11/2

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मन्दिर श्री कालिकादेवी / महन्त प्रेमगिरी 464/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 9.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिभाषक पक्षकारान की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विचाराधीन अपील इस न्यायालय के समक्ष श्री अमर सिंह पुत्र स्व. श्री मांगू सिंह द्वारा अपने आपको मन्दिर श्री कालिका देवी का नेक्स्ट फ्रेण्ड अंकित करते हुए प्रस्तुत की है जिसके सन्दर्भ में अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी इसलिये प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार वाद नहीं था। इस सन्दर्भ में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा यह आपत्ति दर्ज कराई है कि अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित पक्षकार नहीं है न ही वह मन्दिर श्री कालिका देवी से किसी प्रकार का संबंध रखता है। दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा यह बिन्दु अवश्य उद्रित किया कि अपीलार्थी श्री अमर सिंह कभी–कभी मन्दिर दर्शनार्थ जाता है मात्र इस वजह से अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। इस सन्दर्भ में यह कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि चूंकि मूर्ति मन्दिर शास्वत नाबालिक की श्रेणी में आता है जिसका हित प्रथम तो उस मन्दिर पुजारी या महन्त द्वारा सुरक्षित रहता है किन्तु यदि मन्दिर का पुजारी या महन्त नियुक्त ना हो या वह मन्दिर के हित के विरूद्व क्रियाकलापों में लिप्त हो तो मन्दिर के दर्शनार्थी मूर्ति मन्दिर के हित को संरक्षित करने के लिए सक्षम माने गये है एवं ऐसा कोई भी व्यक्ति मन्दिर का हित सुरक्षित रखने के लिये नेक्सट फ्रेण्ड बनकर मूर्ति मन्दिर के हितों की सुरक्षा हेतु सक्षम माना गया है। विचाराधीन प्रकरण में जैसा कि पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि मूर्ति मन्दिर के पूर्व महन्त गोपालगिरी द्वारा अपने जीवनकाल में वादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 तथाकथित महन्त प्रेमगिरी को अपना चेला या मूर्ति मन्दिर कालिका जी का महन्त नियुक्त किया हो सिद्व नहीं होता क्योकि अगर ऐसा होता तो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–8 जो कि महन्ताई का अधिकार पत्र की मात्र फोटोप्रति है जो कि दिनांक 02.04.2009 को कुछ व्यक्तियों की साक्ष्य करा कर प्रस्तुत किया गया है कि आवश्यकता नहीं होती। चूंकि वादी/रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा स्वयं को प्रश्नगत आराजीयात का खातेदार घोषित कराने हेतु एक तथाकथित वसीयत पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो कि मात्र फोटोप्रति है एवं जिसकी प्रमाणिकता संदिग्ध इसलिए है कि उक्त वसीयत पत्र से महन्त गोपालगिरी के मूल हस्ताक्षर जैसा कि अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर विशेषज्ञ की इस सन्दर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, के माध्यम से सन्दर्भित आराजीयात हडपने का एक षडयंत्र रचा गया, लगता हैं इसलिए यह आवश्यक है कि मूर्ति मन्दिर श्री कालिका देवी जो कि एक शास्वत नाबालिक है, के हितों को संरक्षित रखने हेतु यदि कोई व्यक्ति उक्त मूर्ति मन्दिर का नेक्सट फ्रेण्ड बनकर अपील प्रस्तुत करता है तो न्यायहित में न्यायालय के लिये उसको सुना जाना आवश्यक है चूंकि अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में हितधारी पक्षकार नहीं था जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि उसे समयावधि में निर्णय व डिक्री जैर अपील की जानकारी होना भी संभव नहीं था अन्यथा भी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित वसीयतनामा जिसकी मात्र फोटोप्रति के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी वाद डिक्री कर दिया गया। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अन्य कोई ऐसा दस्तावेज

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मन्दिर श्री कालिका देवी / महन्त प्रेमागिरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
464/2019	10	

उपलब्ध नहीं था कि जिसके आधार पर वादी को प्रश्नगत आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सकता हो। इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा ए.आई.आर 2009 (एन.ओ.सी.) पृष्ठ संख्या 197(ए11) उद्रित की है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट धारित किया गया है कि किसी दस्तावेज की मात्र फोटोप्रति के आधार पर वाद संधारणीय नहीं हो सकता। चूंकि विचाराधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित वसीयत पत्र की फोटोप्रति के आधार पर वाद डिक्री कर दिया गया है, इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा (2007)4 Sec-2021 उद्रित की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि " Fraud-meaning-vitiated all judicial acts. Whether in rem or in personam judgment, degree or order obtained by fraud has to be treated as nonest and nullity, whether by court of first instance or by the final court. It can be challenge in any court at any time in appeal, revision, writ or even in callateral proceedings this is an exception to article 141 of the constitution and doctrin of merger. जिससे वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संधारणीय ही नहीं था। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की ओर न्यायालय हाजा का ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि वादी द्वारा वाद के पैरा संख्या 3 में महन्त गोपालगिरी को दिनांक 14.01.2013 को ग्राम अमरसर जाना दर्शाया गया है जबकि वादी प्रेमगिरी द्वारा वर्ष 2012 में ही महन्त गोपालगिरी को मृत घोषित करवाये जाने हेतु सिविल न्यायाधीश शाहपुरा के समक्ष वाद प्रस्तुत कर दिया गया था जो दिनांक 14.05.2012 को ही डिक्री करा लिया गया। जिससे स्पष्ट है कि महन्त गोपालगिरी के जीवित रहने के बावजूद उनको मृतक घोषित करा लिया गया, जिससे वादी का वाद स्पष्ट रूप से गलत तथ्यों पर आधारित होना सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श–8 महन्ताई का अधिकार की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है जो दिनांक 02.04.2009 का है, वाद में वादी द्वारा दिनांक 14.01.2013 तक महन्त गोपालगिरी का मूर्ति मन्दिर श्री कालिका देवी में होना दर्शाया गया है क्योकि दिनांक 14.01.2013 को महन्त गोपालगिरी का ग्राम अमरसर जाना वाद पत्र में दर्शाया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि महन्त गोपालगिरी के मूर्ति मन्दिर श्री कालिका देवी के मन्दिर में महन्त रहते हुए दिनांक 02.04.2009 को यह तथाकथित महन्ताई अधिकार पत्र बनाया गया है, से भी सिद्ध है कि महन्त गोपालगिरी द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपना चेला या महन्त नियुक्त नहीं किया गया था। इसके अतिरक्त समस्त दस्तावेजी सबूतों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि महन्त गोपालगिरी के मूर्ति मन्दिर श्री कालिका देवी के महन्त नियुक्त होने से प्रश्नगत आराजीयात महन्त गोपालगिरी के नाम लगी थी जिससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत आराजीयात मूर्ति मन्दिर श्री कालिका देवी के रख–रखाव हेतु प्राप्त हुई थी यह तथ्य वादी द्वारा अपने वाद में स्वीकारोक्ति से भी सिद्ध है कि प्रश्नगत आराजी मन्दिर मूर्ति श्री कालिका देवी महाकाली शक्तिपीठ के पास में ही है जिसका उपयोग–उपभोग मन्दिर के धार्मिक आयोजन एवं गौसेवा, यज्ञ आदि में किया जाता रहा है, जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि कालान्तर में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मन्दिर श्री कालिका देवी / महन्त प्रेमगिरी 464/2019 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

11

अभिलेखों में सन्दर्भित आराजीयात के सन्दर्भ में मूर्ति मन्दिर श्री कालिका देवी का नाम अंकित न करते हुए उक्त मन्दिर के महन्त का नाम अंकित कर दिया गया एवं मूर्ति मन्दिर शास्वत नाबालिक होने से यह त्रुटि पूर्व उजागर नहीं हो सकी। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अन्यथा भी कोल्यूजन वाद स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है क्योकि वादी द्वारा अनुतोष प्रतिवादी के विरूद्व यह अंकित करते हुए चाहा है कि प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत उत्पन्न करते है जबकि प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब वाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि उनके द्वारा वादी के कब्जे काश्त में कभी भी मजाहमत नहीं की गई। जिससे स्पष्ट था कि वादी को वाद में दर्शाये अनुतोष के सन्दर्भ में कोई वादकारण ही उत्पन्न नहीं हुआ। जिससे उपरोक्त विवेचन के आधार पर अन्य बिन्दुओं के अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तथाकथित वसीयतनामा की फोटोप्रति के आधार पर जो वाद प्रस्तुत किया गया वह संधारणीय नहीं था एवं उसको आधार मानते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो वाद डिक्री किया गया है वह निर्णय 'नल एण्ड वोईड' की परिभाषा में आता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2019 निरस्त किये जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/9/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर